

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

22 / 2018

रईस मोहम्मद पुत्र नन्ने खां जाति तेली निवासी कुरेडी पोस्ट पासरोटिया तहसील पीपलू
जिला टोंक राज०

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक
—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय


दिनांक 04.06.2018



अपील अपीलान्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 16.04.2018 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को दिनांक 23.04.2018 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलान्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-


कार्यालय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक राम/सम/8946 दिनांक 2-8-2017 द्वारा प्रार्थीया को अवगत कराया गया कि तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की छाया प्रति संलग्न कर पत्र के साथ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर टोंक को पत्र लिख दिया गया कि कृपया की गई कार्यवाही से मण्डल एवं प्रार्थी को भी सूचित कराने का श्रम करें। अतः उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट की प्रार्थी को छाया प्रति नियमानुसार उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 833 दिनांक 23.05.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 3215 दिनांक 04.06.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 2979 दिनांक 15.05.2018 से सूचित किया गया था कि वह किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली का अवलोकन कर चाही गई सूचना प्राप्त करे। परन्तु प्रार्थी कार्यालय में सूचना प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, जिससे प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अतः अपीलार्थी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली का अवलोकन कर चाही गई सूचना प्राप्त कर सकते हैं।


जिला कलेक्टर
टोंक

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टॉक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे एवं निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी उपस्थित होने पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करावे।




(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर
प्रथम अपील अधिकारी टॉक